

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
अधिसूचना

पटना, दिनांक 15 - मार्च, 2017

संख्या-7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ0.....2244/ बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 (7/81) की अध्याय 2 की धारा 12 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, राज्य के सभी जिला दण्डाधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का अपने जिला के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के एतद् विषयक अधिसूचना संख्या-9852, दिनांक 16.12.2016 के क्रम में अगले तीन महीनों के लिए अर्थात् दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2017 तक (एक अप्रैल दो हजार सत्रह से तीस जून दो हजार सत्रह तक) प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 /

(गिरीश मोहन ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

जाँपाक-7/सी0सी0ए0-1024/2001(खंड-II)गृ0आ0.....2244/पटना, दिनांक 15 - मार्च, 2017

प्रतिलिपि:- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

प्रेषित।

E-mail/fax

सरकार के अवर सचिव